No. 05 दि. 01-04-2016

खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी

पहले आओ पहले पाओ

हनुमानगढ नई व पुरानी योजना में किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति से खुली बिक्री योजना

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड 9/58, हनुमानगढ जंक्शन

आवास प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

योजना प्रारम्भ तिथि 10.04.2016	योजना समाप्ति तिथि 30.06.2016

—: विवरण :—

क्र. सं.	मकानों का वर्ग	लागत (रू0 में)	आवेदन के साथ देय राशि	कब्जा प्राप्ति से पूर्व देय राशि		मासिक किश्त एवं एवं स0 टैक्स (3.625%)	किश्तों की संख्या
				नगद पद्धति	किराया क्रय पद्वति		
1	2	3	4	5	6	7	8
पुरानी आवासीय योजना – हनुमानगढ जं0							
1.	MIG-A 6.00x15.00=90Sqm. Plinth Area =63.08 Sqm 5/22, 5/23, 5/25, 5/30,4/100,4/107,4/109,4/110, = **8 Nos.**	20,22,900/- 	91,000/-	20,81,056/-	7,46,610/-	18,628/- +675/- 19303/-	156
2.	MIG-B 8.00x15.00=120Sqm. Plinth Area =82.32 Sqm 6/355,6/356= **2 Nos.**	28,65,600/-	1,51,500/-	29,38,694/-	10,36,535/-	24153/- +876/- 25029/-	156
3.	HIG 11.25x21.00=236.25Sqm. Plinth Area = 101.76 Sqm 5/79,5/81,5/82,5/83,5/84,5/85,5/86, ,5/87,5/88,5/92,5/93,5/94,5/96,5/97,5/102, 5/103,5/104,5/105,5/106,5/107,5/108,5/10 9,5/110,5/111,5/112,5/113,5/114,5/115,5/ 116,5/117,5/120,5/121,5/122,5/124,5/125, 5/127,5/128, = **37 Nos.**	39,82,400/-	2,22,000/-	39,36,698/-	18,45,630/-	32,950/- +1194/- 34144/-	156
4.	HIG 11.25x21.00=236.25Sqm. Plinth Area = 103.458 Sqm 8/12 = **1 N0.**	3650900/-	222000/-	3732446/-	1682965/-	30209/- +1095/- 31304/-	156
नई आवासीय योजना – हनुमानगढ जं0							
1.	EWS 4.00x11.00=44.00Sqm. Plinth Area =32.310 Sqm 1-A-36, 1-A-42, 1-B-50, 1-B-52, 1-A-45, 1-A-55, 1-B-64, 1-B-77, 1-A-104, 1-A-110, 1-A-115, 1-B-119, 1-B-123, 1-A-160, 1-B-182, 1-B-185, 1-B-192, 1-B-196, 1-B-198 = **19 Nos.**	658300/-	12500/-	651260/-	134666/-	5034/- +182/- 5216/-	240
2.	LIG 6.00x12.00=72.0Sqm. Plinth Area =39.360 Sqm 1-B-38, 1-B-141= **2 Nos.**	985400/-	25700/-	968975/-	197449/-	9222/- +324/- 9556/-	240
3.	MIG-A 6.00x15.00=90Sqm. Plinth Area =56.180 Sqm 1-B-12, 1-B-13, 1-B-14, 1-A-15, 1-B-15, 1-A-17, 1-B-17, 1-A-18, 1-A-19, 1-A-21, 1-A-23, 1-A-24, 1-B-25, 1-B-26, 1-A-27, 1-A-193, 1-A-197, 1-A-206, 1-A-207, 1-A-208, 1-B-241, 1-B-242, 1-B-245, 1-B-247= **24 Nos.**	16,01,010 0/-	91,000/-	15,77,874/-	5,72,751/-	14,744/- + 535/- 15,279/-	156
4.	MIG-B 9.00x 18.00=162Sqm. Plinth Area =112.540 Sqm 1-B-82,1-B-89,1-B-125,1-B-129,1-B-131,1-A-187,1-A-189 =**7 Nos.**	29,74,000/-	1,51,500/-	29,48,938/-	10,82,622/-	28,039/- +1016/- 29,055/-	156

5.	HIG 10.00x20.00=200Sqm. Plinth Area =138.203 Sqm 1-A-214,1-A-219,1-A-220,1-B-259,1-A-3,1-A-5 = **6 Nos.**	34,83,500/-	2,22,000/-	34,14,371/-	15,49,112/-	28,821/- +1045/- 29,866/-	156

नोटः—

1. मकान आवंटन के उपरांत कब्जे से पूर्व एकमुश्त देय राशि में मंडल नियमानुसार ए.एस.सी. चार्जेज, लीज राशि (एक वर्ष की पेशगी), किराया क्रय राशि एवं एक अग्रिम मासिक किश्त आदि सम्मिलित है, तथा उपरोक्त लागत के अलावा कॉर्नर चार्जेज, अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी।
2. सर्विस टैक्स की दर परिवर्तन होने पर अतिरिक्त सर्विस टैक्स राशि देय होगी।
3. नियम व शर्तें मंडल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सम्पर्क सूत्र :—

कार्यालय आवासीय अभियन्ता
9/58—59 राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी
हनुमानगढ़ जंक्शन
फोन नं. 01552—244176, 244318 फैक्स)

क्रमांक 05 —2— दिनांक 1-4-16

—::खुली बिक्री योजना में मकान आवंटन के नियम व शर्तें::—

1— कार्यालय आवासीय अभियन्ता, मकान संख्या —9/58—59, जेल के पीछे, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन में नक्शे लगा दिये गये है, ताकि मकान लेने वाले मकान की लोकेशन आसानी से देख सके। साथ ही आवंटियों को मकान दिखाने की व्यवस्था भी की गई है।

2— खुली बिक्री योजना में आवंटित किये जाने वाले प्रतिदिन उपलब्ध मकानों के नम्बर नोटिस बोर्ड पर लगाये जायेगे, जिससे मकान लेने वाले आवंटियों को यह छूट होगी कि अपनी पसन्द का मकान लेने के लिए अपना विकल्प दे सकें।

3— खुली बिक्री योजना में प्रतिदिन उपलब्ध मकानों के लिए विकल्प/आवेदन पत्र शाम 4.00 बजे तक लिये जायेगें एवं मकानों का आवंटन उसी दिन लॉटरी द्वारा कर दिया जायेगा।

4— यदि मकान के लिए एक ही आवेदक है तो उसे वह मकान आवटित कर दिया जायेगा, तथा एक से अधिक आवेदकों के होने पर लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा।

5— यदि किसी मकान का विकल्प/आवेदन पत्र देने वालों में पंजीकृत आवेदक भी सम्मिलित है तो आवंटन में पंजीकृत आवेदकों को वरियता दी जायेगी। यदि एक ही पंजीकृत आवेदक है तो वह मकान उसी को आवंटित किया जायेगा। यदि एक से अधिक पंजीकृत आवेदक हो तो पंजीकृत आवेदकों के बीच में लॉटरी कर मकान का आवंटन किया जायेगा।

6— मकान आवंटन लॉटरी में असफल आवेदकों का जमाशुदा पंजीकरण राशि का डी.डी. तुरन्त वापिस लौटा दिया जायेगा, यदि आवेदक इस डी.डी. को उसी दिन आवंटन से शेष रहे किसी अन्य मकान के लिए उपयोग में लेना चाहे तो ऐसा करने के लिए उसे छूट दी जायेगी, इस विशेष परिस्थिति में एक मकान के लिए अधिक आवेदक होने पर मकान का आवंटन लॉटरी द्वारा ही किया जायेगा।

7— नगद भुगतान पद्वति पर आवास चाहने वाले आवेदकों को किराया क्रय पद्वति के आवेदकों से प्राथमिकता दी जायेगी।

8— किराया क्रय पद्वति में एक आवेदक एक आवास ही क्रय कर सकेगा, परन्तु एक से अधिक मकान नगद भुगतान पद्वति पर ही आवंटित किये जायेगें।

9— आवंटन पत्र की मॉग राशि नियत अवधि एक/तीन माह में जमा नहीं करवाने पर मकान का आवंटन रद्द कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी।

10— आवेदन फार्म में आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो एवं हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

11— आवेदक को आवेदन फार्म के साथ तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित देय राशि का बैंक ड्राफ्ट **"राजस्थान आवासन मण्डल"** के पक्ष **हनुमानगढ** में देय बनवाकर जमा करवाना होगा।

12— मकान **"जहाँ है जैसा है (As is where is basis)"** के आधार पर आंवटित कर मकान का उसी स्थिति में कब्जा सुपुर्द किया जायेगा।

13— आवासों की संख्या घटाई व बढाई जा सकती है।

14— किराया क्रय पद्वति में आंवटित मकानों के लिए गारन्टर के नाम से 100/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर गारन्टी एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करना होगा।

15— इस योजना की प्रारम्भ दिनांक 10.04.16 से आवेदन फार्म आवासीय अभियन्ता, हनुमानगढ के कार्यालय से रूपये 300/—नगद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकेगें।

—:: सम्पर्क सूत्र ::—

कार्यालय
आवासीय अभियन्ता/परि0अभियन्ता(वरिष्ठ)
मकान नं0— 9/58—59,रा.हा.बोर्ड कॉलोनी
जेल के पीछे, हनुमानगढ जं
फोन नं0—01552—244318 (कार्यालय फैक्स)
फोन नं0—01552—244176 (कार्यालय)

याद रहे, योजना की अन्तिम तिथि 30.06.2016 है।